



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 2021 / 2219

दिनांक: 08.01.2021

सेवा में,

कु० / श्री / श्रीमती / श्रीमती प्रिया
पुत्र / पुत्री / पति श्री ए.के. मिश्रा
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

संशोधन विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक A comprehensive study on impact of emotional intelligence on loneliness, Anxiety and depression among young adults.

शोध निर्देशक: डॉ० / प्र० प्रणय कुमार त्रिपाठी, सीकेए

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रु० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ० / प्र० प्रणय कुमार त्रिपाठी, सीकेए, का.सु. सीकेए वी.पी. को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/2218

दिनांक: 08.01.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ अंकिता निपाडी
 पुत्र/पुत्री/पति श्री कृष्णकान्त निपाडी
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

मनेकिमान विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: A Comparative study among married working women and Housewives on the level of Marital Adjustment stress and mental Health in Uttar Pradesh: A psychological survey.

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० शैलेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, एस. टी. डी. सी. बी. कादीपुर

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध कराये।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० शैलेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, कादीपुर

को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/2217

दिनांक: 08.01.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ ज्योति शुक्ला
 पुत्र/पुत्री/पति श्री अयोध्या प्रसाद शुक्ला
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

संज्ञाविज्ञान विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: Family Environment, Emotional intelligence and personality as determinants of Psychological well-Being in young Adults.

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो प्रणय कुमार त्रिपाठी, स्वीकृतशोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो प्रणय कुमार त्रिपाठी, पत्र. रू. स्वीकृत पी. सी. को
कावेय, अयोध्या को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/2216

दिनांक: 08.01.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ मोनिका उज्जैन
 पुत्र/पुत्री/पति श्री अमाराण प्रसाद
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

स्नेहा विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: A study of organizational citizenship behaviour and organizational commitment in relation to occupational stress and Emotional intelligence.
 शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० शैलेन्द्र कुमार जायसवाल

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 4 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवाधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० शैलेन्द्र कुमार जायसवाल, रम. डी. डी. पी. जी.
कानपुर, कावेरपुर को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/2215

दिनांक: 08.01.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ सुष्मा शादव
 पुत्र/पुत्री/पति श्री श्यामसुन्दर शादव
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

अनुमोदित विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: A comparative study of the effectiveness of learning systems individualism, cooperativeness and competitiveness on student's academic performance

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० प्रणय कुमार जिपाडी, का.सु. सकेत पी.जी. कॉलेज, अयोध्या

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवाधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करावें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० प्रणय कुमार जिपाडी, सकेत

को सूचनाार्थ।

अप
उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/2214

दिनांक: 08.01.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ नवीन सिंह
 पुत्र/पुत्री/पति श्री रमाशंकर सिंह
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

जीविज्ञान विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: मीडिया ताठनेस एंड चिन्त्रशोध निर्देशक: डॉ०/प्र० प्रणय कुमार जिपारी, साकेतशोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० प्रणय कुमार जिपारी, साकेत को सूचनार्थ।
अयोध्या

उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/2213

दिनांक: ०८.०१.२०२१

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ काल गोविन्द
पुत्र/पुत्री/पति श्री मधुरा प्रसाद
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

संज्ञाविज्ञान विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: Coping strategies to stress in Pandemic situation: A study of variations across gender and socioeconomic factors

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० प्रणय कुमार त्रिपाठी, साकेतशोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० प्रणय कुमार त्रिपाठी, साकेत पी.पी. को सूचनार्थ।
कावेर, अयोध्या

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 202० / 2177

दिनांक: ०7.०1.202०

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ अमृत रत्न सिंह
 पुत्र/पुत्री/पति श्री हर्ष सिंह
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

राजिन्द्र विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: Study of Working Capital Management in public Enterprises of India.

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० कैप्टन देव सिंह, के.एन.आई, सुल्तानपुर

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० कैप्टन देव सिंह, के.एन.आई. पी.एस.एस.,
सुल्तानपुर को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/202०/2178

दिनांक: 07.01.202०

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ प्रिया साल्विया
 पुत्र/पुत्री/पति श्री
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वर्णिका विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्पादित शोध शीर्षक: Industry 4.0: Adaptation in India supply chain and logistics management: A Multidisciplinary case study.

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो नीलम मैरी, सुसाफिरवाना

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो नीलम मैरी, राजकीय पी. पी. कॉलेज, सुसाफिरवाना को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/202१/2179

दिनांक: 07.01.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ सिलका कुशावाहा
 पुत्र/पुत्री/पति श्री
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: A Find out about on have an impact on of E-Commerce on India's Commerce.

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० सिलका कुशावाहा, स्नेहा

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० सिलका कुशावाहा, का. सु. स्नेहा पी. जी. कलेक्टर
अयोध्या। को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/202०/218०

दिनांक: 07.01.202०

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ शिवम गुप्ता
 पुत्र/पुत्री/पति श्री अनील गुप्ता
 पता टाउन एरिया मेन रोड
गोपडा, अयोध्या

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

विप्रेक्षा विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: IMPACT of GST on MSME'S In Special Reference with Ayodhya District.

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० शजीव कुमार अग्रवाल, एल.बी.एस, गोपडा।

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृति

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवाधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० शजीव कुमार अग्रवाल, एल.बी.एस. पी. जी. कालेज,
गोपडा को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 202० / 2181

दिनांक: 07.01.202०

सेवा में,

कु० / श्री / श्रीमती / पुनीत कुमार (प्रायःसवाल)
 पुत्र / पुत्री / पति श्री अनूपनी कुमार (प्रायःसवाल)
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वार्पिंग विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: REFORMS IN TAX STRUCTURE IN INDIA - AN EVOLUTION
(A Case study of GST.)

शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० प्रायशंकर शुक्ला, के.एस.आई. मुल्तानपुर।

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी / शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रु० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० प्रायशंकर शुक्ला, के.एस.आई.पी.एस.एस.,
मुल्तानपुर। को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/202०/2182

दिनांक: 07.01.202०

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/.....
 पुत्र/पुत्री/पति श्री
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

..... विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: A Study of Emerging Demand of Microfinance via crowd funding among Rural Women (Self Help Group)

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० किनोद प्रताप सिंह, एल० वी० एस०, जोन्डा।

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० किनोद प्रताप सिंह, एल० वी० एस० पी० जी० फाल्गु, जोन्डा। को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/202०/2183

दिनांक: ०7.०1.202०

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ प्रदीप कुमार मैरी
 पुत्र/पुत्री/पति श्री
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: ग्रामीण अल्पनिर्भरता में कृषि तकनीक का योगदान एवं अध्ययन विशेषतया जलपद जैनपुर के संदर्भ में।

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० नन्दन सिंह, अम्बेडकर-नगर

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० नन्दन सिंह, अम्बेडकर-नगर को सूचनार्थ।
अम्बेडकर-नगर

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 2020 / 2184

दिनांक: 07.01.2020

सेवा में,

कु० / श्री / श्रीमती / नितीन कुमार जमी
 पुत्र / पुत्री / पति श्री
 पता वस स्टेशन के सामने, सरायभीरा
कैलाश

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: Analytical Study of GST on Indian Economy
with Special Reference to Uttar Pradesh.

शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० विनोद प्रताप सिंह, रक्त. वी. एस. गोप्ता

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी / शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० विनोद प्रताप सिंह, रक्त. वी. एस. गोप्ता,
गोप्ता को सूचनाार्थ।

Expt
 उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/202०/2186

दिनांक: ०७.०१.२०२०

सेवा में,

कृ०/श्री/श्रीमती/ प्रमोद कुमार
 पुत्र/पुत्री/पति/श्री
 पता ग्राम चक गुलरा पो- पर्व
आजमगढ़

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: ग्रामीण शीर्षक आत्मनिर्भरता में लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका: (विशेषतया प्रसिद्ध आजमगढ़ के कूलपुर तहसील के संदर्भ में)

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० जेदन सिंह, अम्बेडकरनगर।शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नानकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० जेदन सिंह, अम्बेडकरनगर, रमालई राज्यवीर्य मीडिया मंडीति०, को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/202०/2188

दिनांक: ०7.०1.202०

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ सुदाम खान
 पुत्र/पुत्री/पति श्री जुलैल अहमद
 पुता 7/11/56 मेवातीपुरा, धनौरा रोड
मेवातर, अयोध्या

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

जीणिहर विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: ग्रामीण अर्थव्यवस्था से स्त्रियाँ का शोषणशोध निर्देशक: डॉ०/प्र० सिद्धी शाहब शाह, सैफतशोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० सिद्धी शाहब शाह, का. सु. सैफत सी. जी. फातेमा
अयोध्या को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/202१/2189

दिनांक: 07.11.202१

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/..... नेहा सिंह
पुत्र/पुत्री/प्रति श्री सुभाष कुमार सिंह
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

..... विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये अ
द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वा
सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: SWACHH BHARAT MISSION (SBM): A step towards environmental protection and health concerns (with special reference to Bar District of Eastern Uttar Pradesh)

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० नीलम मैया, सुसीमा खाना

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्व निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रु० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० नीलम मैया, शैक्षणिक सहायक, सुसीमा खाना
को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/202०/219०

दिनांक: 07.01.202०

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ सुनील सिंह
 पुत्र/पुत्री/पति श्री सोम सिंह
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्पादित शोध शीर्षक: AREA OF INTERSET MARKETING GREEN MARKETING NEED AND INTRODUCTION OF GREEN MARKETING

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० हमिदुर रहमानशोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या ₹ 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० हमिदुर रहमान, संलग्नित वाता वैज्ञानिक शोधार्थी श्री सोम सिंह,
हमिदुर रहमान को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 202० / 2११

दिनांक: ०७.०१.२०२०

सेवा में,

कु० / श्री / श्रीमती / श्रीमती सोनकर
 पुत्र / पुत्री / पति श्री सु० अशोक कुमार सोनकर
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

कॉग्रेज विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: "AMERICAN MARKETING ASSOCIATION" Green marketing is the marketing of product that are presumed to be environmentally safe.

शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० अशोक कुमार मिश्रा, सकेतशोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० अशोक कुमार मिश्रा, सकेत पी. जी. कालेज
अयोध्या को सूचनाार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 202० / 2193

दिनांक: 07.01.202०

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/... श्रीमान बाहादुर शाहदा
 पुत्र/पुत्री/पति श्री
 पता ग्राम प० हिन्दुआबाद
मुल्तानपुर

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

तापिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: ग्रामीण आर्थिक आत्मनिर्भरता में दस्तकारी एक समीक्षात्मक अध्ययन: विशेषतया करीदी कला ब्लॉक पानपट, मुल्तानपुर के सम्बन्ध में।

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० अरुण कान्त जीतम, अम्बेडकरनगर।शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या ₹ 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० अरुण कान्त जीतम, अम्बेडकरनगर, अम्बेडकरनगर।
अम्बेडकरनगर। को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/202०/2194

दिनांक: 07.01.202०

सेवा में,

क०/श्री/श्रीमती/ आदर्श कुमार शक्ता
 पुत्र/पुत्री/पति श्री प्रदीप कुमार शक्ता
 पता रहता संसुर, महसी
तहसील

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

आर्जिया विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये अ
 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वा
 सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: उत्तर प्रदेश के पनपद-तहसील के ग्रामीण आर्थिक वि
से भारतीय स्टेट बैंक की योजनाओं का योगदान।

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० संतोष कुमार राय, राजकीय महाविद्यालय, मुसफिरखाना

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्ननांकित क्रम संख्या 1 समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्व निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध कराये।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० संतोष कुमार राय, राजकीय महाविद्यालय, मुसफिरखाना
 को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2020/2195

दिनांक: 07.01.2020

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ सुजिंदी मिश्रा
पुत्र/पुत्री/पति श्री राम कुमार मिश्रा
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में, शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: Ayushman Bharat Initiative: what we stand to gain or lose (A study with reference to Barabanki District of Eastern)

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० पराशर शुक्ला, के. एम. आई, मुल्तानपुर।

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० पराशर शुक्ला, के. एम. आई, पी. एस. एस.,
मुल्तानपुर को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/202०/2196

दिनांक: 07.01.202०

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ सुरज पटेल
 पुत्र/पुत्री/पति श्री
 पता पटना नगर बसखोरी रोड, अमरपुर
अमरपुर

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

विषय विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये अ
 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्व
 सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: Impact on Indian economy in COVID-19 for the
particularly small industrial area of Uttar Pradesh.

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० सुरज कुमार गौतम, आर०डी०सी०
अमरपुर

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1
 समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित
 समयवाधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्त
 निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है,
 पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित श
 निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 व
 होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने
 निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या र
 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उ
 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्या
 की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० सुरज कुमार गौतम, आर०डी०सी०
अमरपुर को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 202० / 2197

दिनांक: ०७.०१.२०२०

सेवा में,

कु० / श्री / श्रीमती / रश्मि पाठक
 पुत्र / पुत्री / पति श्री
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

राष्ट्रिय विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: Role of Banking Sector in Women Empowerment with special reference to Uttar Pradesh cluster.

शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० अशोक कुमार मिश्रा, साकेत

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुति: साकेत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या ₹ 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० अशोक कुमार मिश्रा, साकेत को सूचनार्थ।
अयोध्या

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2020/2198

दिनांक: 07.01.2020

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ सुस्मिता सिंह
 पुत्र/पुत्री/पति श्री
 पता MIG- 440, Awas Vikas Colony,
 Amanigunj, Faizabad.

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

तौजिया विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: The effect of capital structure on divided decisions - An analysis of selected construction Industries in India.

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० अशोक कुमार मिश्रा, सोनेत

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० अशोक कुमार मिश्रा, का.रु. सोनेत पी.जी. कावेरा, अयोध्या को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शै०/2020/2199

दिनांक: 07.01.2020

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ अंकिता शाह
 पुत्र/पुत्री/पति श्री अशोक कुमार शाह
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वापिस विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: IMPACT ON EMPLOYMENT IN INDIAN ECONOMY POST COVID (with special reference to Aayodhya district of Uttar Pradesh)

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० अशोक कुमार श्रीवास्तव, रिसर्चा

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या ₹ 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० अशोक कुमार श्रीवास्तव, रिसर्चा, आर०डी०सी०, अशोक कुमार शाह, रिसर्चा, अशोक कुमार शाह को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 2020 / 2200

दिनांक: 07.01.2020

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ दिव्यांशु गुप्ता
 पुत्र/पुत्री/पति श्री
 पता C-5638 Rajaji puram, Sector-12
Lucknow

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

विज्ञापन विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: Drivers of Entrepreneurship: Linking with Economic Growth and Employment Generation.

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० हसिनी, हरष, लारावती

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो०

को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 202० / 22०4

दिनांक: 07.01.202०

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ नीलम भारती
 पुत्र/पुत्री/पति श्री
 पता आ० प्र० अ० अ०
अयोध्या नगर

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

नीलम भारती विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आ
 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वा
 सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: आयुर्वेदिक-पार विवे की विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में
शोध प्रबंधन का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० अरुण कान्त गौतम, अयोध्या नगरशोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृतअन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नित क्रम संख्या 1 क
 समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित
 समयवधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः
 निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, त
 पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध कराये।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध
 निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबंध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष)
 होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबंध जमा किये जाने हेतु
 निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रु०
 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ०
 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय
 की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० अरुण कान्त गौतम, आयुर्वेदिक-पार विवे शोध प्रबंध
अयोध्या नगर, अयोध्या नगर को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/202०/22०3

दिनांक: 07.01.202०

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ डॉ० काव
 पुत्र/पुत्री/पति श्री दिनेश कुमार
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वार्फिस विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: Digital marketing And Its Impact on Indian Economy

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० मिर्जा शहाब शाह, सोफ्ट

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० मिर्जा शहाब शाह, का.सु. सोफ्ट पी.जी.
कानपुर, अयोध्या को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2020/2282

दिनांक: 07.01.2020

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/.....गीता देवी यादव
 पुत्र/पुत्री/पतिश्री राम प्रताप यादव
 पता उ० प्र० लोहिया प० देहरिया
तह० कटिया, सुल्तानपुर

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

.....ताजिज्या..... विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: ग्रामीण विकास में बैंक की भूमिका सुल्तानपुर जिले में
ग्रामीण बैंक का विशेष अध्ययन

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० विजय कुमार अग्रवाल, एल.बी.एस., जोषडा

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रु० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० विजय कुमार अग्रवाल, एल.बी.एस. पी० जी०
कटिया, जोषडा को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव